

**Directorate Elementary Education****मौलिक शिक्षा निदेशालय**

e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and DevelopmentEDUCATION DEPARTMENT
विभाग, हरियाणातमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Lightकार्यालय निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
ज्ञापन

आदेश क्रमांक 14/36 -2016 HRM-II (4)

दिनांक पंचकूला : 25-5-16

- 1 श्री हरी ओम (078881), गणित अध्यापक, रा0उ0वि0 हालुवास जिला भिवानी को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आधारों पर हरियाणा सिविल सेवा दण्ड तथा अपील नियम, 1987, के नियम-7 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे अनुबद्ध अभिकथनों के विवरण पर आधारित है।
- 2 श्री हरी ओम (078881), से उनके द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से 21 दिन की अवधि के अन्दर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है कि वे सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करती/करता है या नहीं। उन्होंने क्या स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना हैं और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहती/चाहता है।
- 3 श्री हरी ओम (078881), को आगे सूचित किया जाता है कि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिये सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहती/चाहता है तो उन्हें महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकूला के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण करना चाहिए। फिर भी यह बताया जाता है कि उन्हें केवल ऐसे ही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जोकि महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकूला के पास है और जो मामलें के साथ पूरी तरह से सुसंगत है, यदि सरकार को राय में उन्हें किन्ही दस्तावेजों को दिखाने की अनुमति देना लोकहित में वांछनीय नहीं है, तो उन्हें वह दस्तावेज दिखाने के लिए इन्कार कर दिया जायेगा। यदि श्री हरी ओम (078881), ऐसे किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहती/चाहता है जो महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकूला की अभिरक्षा में नहीं है तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेदारी उनकी अपनी है, फिर भी श्री हरी ओम (078881), को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज का निरीक्षण न किया जा सकता उनके लिखित कथन को भेजने में देरी के लिए वैध आधार नहीं माना जायेगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के अन्दर प्राप्त नहीं होता तो यह समझा जायेगा कि उन्हें कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।
- 4 लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करने चाहिएं।
- 5 संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेजें।

(विरेंद्र कुमार दहिया)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
का0 निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

रजिस्टर्ड
सेवा मेंश्री हरी ओम (078881), गणित अध्यापक,
रा0उ0वि0 हालुवास जिला भिवानी।

पृष्ठांकन क्रमांक : सम

दिनांक पंचकूला : 27-6-16

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

- 1 जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, भिवानी।
- 2 प्रचार्य/मुख्याध्यापक, रा0उ0वि0 हालुवास जिला भिवानी।
- 3 टी0ओ0/आई0टी0सैल।

अधीक्षक एच0आर0एम0-II
कृतो निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला।

आरोप सूची विरुद्ध – श्री हरी ओम (078881), गणित अध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय हालुवास जिला भिवानी।

.....

श्री हरी ओम (078881), ने गणित अध्यापक के पद पर राजकीय उच्च विद्यालय हालुवास भिवानी मे कार्य करते हुए निम्नलिखित अनियमितारं की है:-

1. कि आपने मोबाईल पर विद्यालय की पूर्व छात्रा सुदेश कुमारी के साथ अनैतिक एवम अश्लील वार्तालाप की आडियो सी0डी0 से अनैतिक व अश्लील बातें की है।
2. कि आपने अपनी शिष्या के साथ अनैतिक एवम अश्लील बातें कर अध्यापक-शिष्या के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है तथा विभाग की छवि को धूमिल किया है।
- 3 कि जब उसे इस निदेशालय के आदेश क्रमांक 14/36-2016 HRM-II(4) दिनांक 16.03.2016 के अर्न्तगत निलम्बित करके उसका मुख्यालय कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी यमुनानगर निश्चित किया गया तो उसने अपने मुख्यालय पर यमुनानगर मे दिनांक 12.04.2016 तक अपनी हाजरी नहीं दी।

इस प्रकार उसने उपरोक्त गम्भीर अनियमितता करके हरियाणा कर्मचारी नियमावली 1966 के नियम

3. (i),(ii),(iii) तथा 3A की उल्लंघना की है तथा अपने आपको कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया है।

W. S. Singh
(विरेन्द्र कुमार सिंह)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
का0निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।


अभियोग सूची विरुद्ध – श्री हरी ओम (078881), गणित अध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय हालुवास जिला भिवानी।

.....

श्री हरी ओम (078881), ने गणित अध्यापक के पद पर कार्य करते हुए निम्नलिखित अनियमितारं की है:-

1. कि आपने मोबाईल पर विद्यालय की पूर्व छात्रा सुदेश कुमारी के साथ अनैतिक एवम अश्लील वार्तालाप की आडियो सी0डी0 से अनैतिक व अश्लील बातें की है।
2. कि आपने अपनी शिष्या के साथ अनैतिक एवम अश्लील बातें कर अध्यापक-शिष्या के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है तथा विभाग की छवि को धूमिल किया है।
- 3 कि जब उसे इस निदेशालय के आदेश क्रमांक 14/36-2016 HRM-II(4) दिनांक 16.03.2016 के अर्न्तगत निलम्बित करके उसका मुख्यालय कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी यमुनानगर निश्चित किया गया तो उसने अपने मुख्यालय पर यमुनानगर में दिनांक 12.04.2016 तक अपनी हाजरी नहीं दी।

इस प्रकार उसने उपरोक्त गम्भीर अनियमितता करके हरियाणा कर्मचारी नियमावली 1966 के नियम 3. (i),(ii),(iii) तथा 3A की उल्लंघना की है तथा अपने आपको हरियाणा सरकारी कर्मचारी (दण्ड एवम अपील) नियमावली 1987 के नियम-4 व 7 के तहत कार्यवाही का पात्र बनाया है।


(विरेन्द्र कुमार दहिया)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
का0निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

रिकार्ड सूची विरुद्ध – श्री हरी ओम (078881), गणित अध्यापक, रा0उ0वि0 हालुवास जिला भिवानी।

1. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी भिवानी द्वारा प्रेषित शिकायत क्र0 स्था-2-16/4148
दिनांक 16.03.2016
2. स्कूल रिकार्ड रा0उ0वि0 हालुवास, भिवानी।
3. ग्राम पंचायत हालुवास, भिवानी द्वारा प्रेषित शिकायत।
4. आडियो सी0डी0 वार्तालाप।

गवाहों की सूची:-


1. ग्राम पंचायत हालुवास, भिवानी।
2. स्कूल की मुख्यध्यापिका।
3. सहायक, कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, भिवानी।

ksalje
(विरेन्द्र कुमार दहिया)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
का0निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

Directorate Elementary Education

मौलिक शिक्षा निदेशालय

e-mail: edusecondary@hry.nic.in



कार्यालय निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।

ज्ञापन

आदेश क्रमांक 14/36 -2016 HRM-II (4)

दिनांक पंचकूला : 25-5-16

1557437028
98/1061K

- 1 श्री सोमबीर सिंह गिल (091367), गणित अध्यापक, रा0उ0वि0 हालुवास जिला भिवानी को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आधारों पर हरियाणा सिविल सेवा दण्ड तथा अपील नियम, 1987, के नियम-7 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे अनुबद्ध अगिकथनों के विवरण पर आधारित हैं।
- 2 श्री सोमबीर सिंह गिल (091367), से उनके द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से 21 दिन की अवधि के अन्दर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है कि वे सगी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करती/करता है या नहीं। उन्होंने क्या स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना हैं और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहती/चाहता है।
- 3 श्री सोमबीर सिंह गिल (091367), को आगे सूचित किया जाता है कि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिये सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहती/चाहता है तो उन्हें महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकूला के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण करना चाहिए। फिर भी यह बताया जाता है कि उन्हें केवल ऐसे ही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जोकि महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकूला के पास हैं और जो मामलें के साथ पूरी तरह से सुसंगत हैं, यदि सरकार की राय में उन्हें किन्ही दस्तावेजों को दिखाने की अनुमति देना लोकहित में वांछनीय नहीं है, तो उन्हें वह दस्तावेज दिखाने के लिए इन्कार कर दिया जायेगा। यदि श्री सोमबीर सिंह गिल (091367) ऐसे किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहती/चाहता है जो महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकूला की अभिरक्षा में नहीं है तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेदारी उनकी अपनी है, फिर भी श्री सोमबीर सिंह गिल (091367), को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज का निरीक्षण न किया जा सकना उनके लिखित कथन को गेजने में देरी के लिए वैध आधार नहीं माना जायेगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के अन्दर प्राप्त नहीं होता तो यह समझा जायेगा कि उन्हें कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।
- 4 लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करने चाहिएँ।
- 5 संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेजें।

क्रमांक

दिनांक

(विरेन्द्र कुमार देहिया)

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन

का0 निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

रजिस्टर्ड

सेवा में

श्री सोमबीर सिंह गिल (091367), गणित अध्यापक,
रा0उ0वि0 हालुवास जिला भिवानी।

पृष्ठ/कन क्रमांक : सम

दिनांक पंचकूला : 27-6-16

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

- 1 जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, भिवानी।
- 2 प्रधान/मुख्याध्यापक, रा0उ0वि0 हालुवास जिला भिवानी।
- 3 टी0ओ0/आई0टी0सैल।

अधीक्षक एच0आर0एम0-II


कृते0 निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला।

आरोप सूची विरुद्ध – श्री सोमबीर सिंह गिल (091367), गणित अध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय हालुवास जिला भिवानी।

श्री सोमबीर सिंह गिल (091367), ने गणित अध्यापक के पद पर कार्य करते हुए निम्नलिखित अनियमिताएं की हैं:-

1. कि श्री हरी ओम, गणित अध्यापक मोबाईल पर विद्यालय की पूर्व छात्रा सुदेश कुमारी के साथ अनैतिक एवम अश्लील वार्तालाप की आडियो सी0डी0 से अनैतिक व अश्लील बातें की है। जिसमे कि आपने श्री हरी ओम गणित अध्यापक के साथ मिलकर षडयंत्र रचा है।
2. कि आपने अपनी शिष्या के साथ अनैतिक एवम अश्लील बातें कर अध्यापक-शिष्या के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है तथा विभाग की छवि को धूमिल किया है।
- 3 कि जब उसे इस निदेशालय के आदेश क्रमांक 14/36-2016 HRM-II(4) दिनांक 16.03.2016 के अर्न्तगत निलम्बित करके उसका मुख्यालय कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी यमुनानगर निश्चित किया गया तो उसने अपने मुख्यालय पर यमुनानगर मे दिनांक 12.04.2016 तक अपनी हाजरी नहीं दी।

इस प्रकार उसने उपरोक्त गम्भीर अनियमितता करके हरियाणा कर्मचारी नियमावली 1966 के नियम 3. (i),(ii),(iii) तथा 3A की उल्लंघना की है तथा अपने आपको कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया है।


(विक्रम कुमार दहिया)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
का0निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।


अभियोग सूची विरुद्ध – श्री सोमबीर सिंह गिल (091367), गणित अध्यापक, रा0उ0वि0 हालुवास जिला भिवानी।

.....

श्री सोमबीर सिंह गिल (091367), ने गणित अध्यापक के पद पर कार्य करते हुए निम्नलिखित अनियमिताएं की हैं:-

1. कि आपने मोबाईल पर विद्यालय की पूर्व छात्रा सुदेश कुमारी के साथ अनैतिक एवम अश्लील वार्तालाप की आडियो सी0डी0 से अनैतिक व अश्लील बातें की हैं। जिसमें कि आपने श्री हरी ओम गणित अध्यापक के साथ मिलकर षडयंत्र रचा है।
2. कि आपने अपनी शिष्या के साथ अनैतिक एवम अश्लील बातें कर अध्यापक-शिष्या के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है तथा विभाग की छवि को धूमिल किया है।
- 3 कि जब उसे इस निदेशालय के आदेश क्रमांक 14/36-2016 HRM-II(4) दिनांक 16.03.2016 के अन्तर्गत निलम्बित करके उसका मुख्यालय कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी यमुनानगर निश्चित किया गया तो उसने अपने मुख्यालय पर यमुनानगर में दिनांक 12.04.2016 तक अपनी हाजरी नहीं दी।

इस प्रकार उसने उपरोक्त गम्भीर अनियमितता करके हरियाणा कर्मचारी नियमावली 1966 के नियम 3. (i),(ii),(iii) तथा 3A की उल्लंघना की है तथा अपने आपको हरियाणा सरकारी कर्मचारी (दण्ड एवम अपील) नियमावली 1987 के नियम-4 व 7 के तहत कार्यवाही का पात्र बनाया है।



(विरेन्द्र कुमार दहिया)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
का0निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

रिकार्ड सूची विरुद्ध – श्री सोमबीर सिंह गिल (091367), गणित अध्यापक, रा0उ0वि0 हालुवास जिला भिवानी।

1. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी भिवानी द्वारा प्रेषित शिकायत क्र0 स्था- 2-16/4148
दिनांक 16.03.2016
2. स्कूल रिकार्ड रा0उ0वि0 हालुवास, भिवानी।
3. ग्राम पंचायत हालुवास, भिवानी द्वारा प्रेषित शिकायत।
4. आडियो सी0डी0 वार्तालाप।

गवाहों की सूची:-

1. ग्राम पंचायत हालुवास, भिवानी।
2. स्कूल की मुख्यध्यापिका।
3. सहायक, कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, भिवानी।


(विरेन्द्र कुमार दहिया)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
का0निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate Elementary Education

मौलिक शिक्षा निदेशालय

e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and DevelopmentEDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणासमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

कार्यालय निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।

ज्ञापन

आदेश क्रमांक 14/36 -2016 HRM-II (4)

दिनांक पंचकूला : 25-5-16

- 1 श्री नरेश कुमार (007346), एस0एस0 अध्यापक, रा0उ0वि0 हालुवास जिला भिवानी को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आधारों पर हरियाणा सिविल सेवा दण्ड तथा अपील नियम, 1987, के नियम-7 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे अनुबद्ध अभिकथनों के विवरण पर आधारित है।
- 2 श्री नरेश कुमार (007346), से उनके द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से 21 दिन की अवधि के अन्दर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है कि वे सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करती/करता है या नहीं। उन्होंने क्या स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना है और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहती/चाहता है।
- 3 श्री नरेश कुमार (007346), को आगे सूचित किया जाता है कि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिये सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहती/चाहता है तो उन्हें महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकूला के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण करना चाहिए। फिर भी यह बताया जाता है कि उन्हें केवल ऐसे ही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जोकि महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकूला के पास है और जो मामलों के साथ पूरी तरह से सुसंगत है, यदि सरकार की राय में उन्हें किन्ही दस्तावेजों को दिखाने की अनुमति देना लोकहित में वांछनीय नहीं है, तो उन्हें वह दस्तावेज दिखाने के लिए इन्कार कर दिया जायेगा। यदि श्री नरेश कुमार (007346), ऐसे किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहती/चाहता है जो महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकूला की अभिरक्षा में नहीं है तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेदारी उनकी अपनी है। फिर भी श्री नरेश कुमार (007346), को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज का निरीक्षण न किया जा सकता उनके लिखित कथन को भेजने में देरी के लिए वैध आधार नहीं माना जायेगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के अन्दर प्राप्त नहीं होता तो यह समझा जायेगा कि उन्हें कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।
- 4 लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करने चाहिएं।
- 5 संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेजें।

(विरेंद्र कुमार दहिया)

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन

का0 निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।रजिस्टर्ड
सेवा मेंश्री नरेश कुमार (007346), एस0एस0 अध्यापक,
रा0उ0वि0 हालुवास जिला भिवानी।

पृष्ठांकन क्रमांक : सम

दिनांक पंचकूला : 27-6-16

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

- 1 जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, भिवानी।
- 2 प्रचार्य/मुख्याध्यापक, रा0उ0वि0 हालुवास जिला भिवानी।
- 3 टी0ओ0/आई0टी0सैल।

अधीक्षक एच0आर0एम0-II


कृते0 निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला।

आरोप सूची विरुद्ध – श्री नरेश कुमार (007346), एस0एस0 अध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय हालुवास जिला भिवानी।

.....

श्री नरेश कुमार (007346), ने एस0एस0 अध्यापक के पद पर राजकीय उच्च विद्यालय हालुवास भिवानी में कार्य करते हुए निम्नलिखित अनियमितताएं की हैं:-

1. कि श्री हरी ओम, गणित अध्यापकमोबाईल पर विद्यालय की पूर्व छात्रा सुदेश कुमारी के साथ अनैतिक एवम अश्लील वार्तालाप की आडियो सी0डी0 से अनैतिक व अश्लील बातों की हैं। जिसमें कि आपने श्री हरी ओम गणित अध्यापक के साथ मिलकर षडयंत्र रचा है।
 2. कि आपने अपनी शिष्या के साथ अनैतिक एवम अश्लील बातें कर अध्यापक-शिष्या के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है तथा विभाग की छवि को धूमिल किया है।
 - 3 कि जब उसे इस निदेशालय के आदेश क्रमांक 14/36-2016 HRM-II(4) दिनांक 16.03.2016 के अर्न्तगत निलम्बित करके उसका मुख्यालय कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी यमुनानगर निश्चित किया गया तो उसने अपने मुख्यालय पर यमुनानगर में दिनांक 12.04.2016 तक अपनी हाजरी नहीं दी।
- इस प्रकार उसने उपरोक्त गम्भीर अनियमितता करके हरियाणा कर्मचारी नियमावली 1966 के नियम 3. (i),(ii),(iii) तथा 3A की उल्लंघना की है तथा अपने आपको कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया है।


(विक्रम कुमार देहिया)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
का0निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।


अभियोग सूची विरुद्ध – श्री नरेश कुमार (007346), एस0एस0 अध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय हालुवास जिला भिवानी।

श्री नरेश कुमार (007346) ने एस0एस0 अध्यापक के पद पर कार्य करते हुए निम्नलिखित अनियमिताएं की हैं:-

1. कि आपने मोबाईल पर विद्यालय की पूर्व छात्रा सुदेश कुमारी के साथ अनैतिक एवम अश्लील वार्तालाप की आडियो सी0डी0 से अनैतिक व अश्लील बातें की हैं। जिसमें कि आपने श्री हरी ओम गणित अध्यापक के साथ मिलकर षडयंत्र रचा है।
2. कि आपने अपनी शिष्या के साथ अनैतिक एवम अश्लील बातें कर अध्यापक-शिष्या के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है तथा विभाग की छवि को धूमिल किया है।
- 3 कि जब उसे इस निदेशालय के आदेश क्रमांक 14/36-2016 HRM-II(4) दिनांक 16.03.2016 के अर्न्तगत निलम्बित करके उसका मुख्यालय कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी यमुनानगर निश्चित किया गया तो उसने अपने मुख्यालय पर यमुनानगर में दिनांक 12.04.2016 तक अपनी हाजरी नहीं दी।

इस प्रकार उसने उपरोक्त गम्भीर अनियमितता करके हरियाणा कर्मचारी नियमावली 1966 के नियम

3. (i),(ii),(iii) तथा 3A की उल्लंघना की है तथा अपने आपको हरियाणा सरकारी कर्मचारी (दण्ड एवम अपील) नियमावली 1987 के नियम-4 व 7 के तहत कार्यवाही का पात्र बनाया है।


(विरेंद्र कुमार दहिया)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
का0निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

रिकार्ड सूची विरुद्ध – श्री नरेश कुमार (007346), एस0एस0 अध्यापक, रा0उ0वि0 हालुवास जिला भिवानी।

1. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी भिवानी द्वारा प्रेषित शिकायत क्र0 स्था--2-16/4148
दिनांक 16.03.2016
2. स्कूल रिकार्ड रा0उ0वि0 हालुवास, भिवानी।
3. ग्राम पंचायत हालुवास, भिवानी द्वारा प्रेषित शिकायत।
4. आडियो री0डी0 वार्तालाप।

गवाहों की सूची:-

1. ग्राम पंचायत हालुवास, भिवानी।
2. स्कूल की मुख्याध्यापिका।
3. सहायक, कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, भिवानी।

W. S. D.
(विरेन्द्र कुमार दहिया)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
का0निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
 विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development



तमसो मा ज्योतिर्गमय
 Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

1560/21/ceh
 28/06/16

Order No.32/2-2014 PS-3

Dated, Panchkula The 14/06/2016

The Managing Committee of **Khuda Bakshya Modern Public School, Vill. Dhiranki, Distt.**

Palwal is hereby approved with the following members:-

Priority	Member Name(Sh./Smt.)	Designation
1	Abida	President
2	Sajida	Vice-President
3	Sehrun Khan	Secretary
4	Assrudin	Treasurer
5	Israiel	Teacher Representative
6	Idrish	Parents Representative
7	Shahid	Educationists
8	Shayida	Female Member
9	Mahender Singh	Headmaster/Ex-Officio Member
10	Khateeja	Member
11	Razia	Member

MEENAKSHI GOYAL
 JOINT DIRECTOR (ELEMENTARY)
 O/o DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION
 HARYANA, PANCHKULA

Endst.No.Even

Dated Panchkula, the 27-6-2016

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, **Palwal**
2. District Elementary Education Officer, **Palwal**
3. Manager, **K.S Social Foundation Samiti, VPO-Dhiranki, Tehsil- Hathin, Distt.Palwal**
4. HeadMaster, **Khuda Bakshya Modern Public School, Vill. Dhiranki, Distt, Palwal**
5. Technology Officer(I.T.)

SUPERINTENDENT (PS)
 FOR DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION
 HARYANA, PANCHKULA


1561/27.04
28/06/16

Department of School Education Haryana

Appropriate Authority

(as prescribed under Rule 34 (1) of Haryana School Education Rules-2003)

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development



तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

GOVERNMENT OF HARYANA

PERMISSION

TO ADD NEW PROPOSED CLASSES
FOR HIGHER STAGE SCHOOL
UNDER RULE - 29 OF
HARYANA SCHOOL EDUCATION RULES, 2003

ADMISSIONS & FUNCTIONING OF SCHOOL NOT ALLOWED WITHOUT RECOGNITION



Memo No. 32/24-2015PS(E-3)

Dated :- 08.06.2016

In exercise of powers conferred under Rule 29 (3) read with Rule 3 of Haryana School Education Rules-2003 Education Department, Haryana hereby permit to add new proposed classes for higher stage. However, it is made clear that such permission will not enable such school to get recognition automatically for which the applicant shall have to fulfill the required conditions.

This letter of permission is based on the undertaking given by the applicant as per details given overleaf. Any violation of the undertaking automatically nullifies the permission. This permission is further subject to 'No Objection' from the 'Competent Authority' regulating the land use of the proposed site.

The permission to add new proposed classes for higher stage is only 'In-principle' approval of the Education Department to allow applicant to initiate steps and provide infrastructure to the new proposed classes of higher stage.

Students should not be admitted only on this permission without getting recognition. The recognition will be granted R.T.E. Rules-12 Appendix-II by the Department on fulfillment of prescribed norms as provided in Haryana School Education Rules-2003, in the interest of safety, health and welfare of students and other requirements.

* The managing committee shall abide by the provisions of Haryana School Education Rules 2003 (amended) & R.T.E. Ruels 2011 and amendments it any thereafter. The Managing shall be liable for disciplinary action in case of violation of any provisions of the rules.

PARTICULARS OF THE SCHOOL

FOR WHICH THIS PERMISSION TO ADD
NEW PROPOSED CLASSES FOR HIGHER STAGE SCHOOL IS GRANTED

Regn. No.	M/PWL/BOSE/ENG&HND/ 10 June, 2016
Name of the Individual, Association of Individual, Trust or Company establishing the School	Al-Ikhlal Minority Development Society, Mohalla Manak, Near Islamic Madarsa, Uttwar More, Vill. Uttawar Tehsil Hathin, Distt. Palwal
Name of the School	Al- Huda Public Middle School, Vill. Uttawar, Distt. Palwal
Address of the School	Village/Town Vill. Uttawar, Distt. Palwal Panchayat/sector
District Name	Palwal
Stage	1st to 8th
Medium	English & Hindi
Syllabus/Affiliation	BOSE
Details of Land (Khasra/Kila)	1904/2051,4/2(2-3),12,16/7(8-0),14/1(2-13)(6-8)14/2/2(2-13)(6-8)(2-13)

This Permission is valid up to next two academic sessions



[Signature]
Superintendent P.S.
For Director Secondary Education
Haryana, Panchkula
[Signature]

District Elementary Education Officer, Palwal
T.O.

Appropriate Authority as prescribed under Rule-34(1) of Haryana School Education Rules - 2003

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 24 of the Haryana School Education Act, 1995 (Act 12 of 1999), and all other powers enabling in this behalf, the Government of Haryana vide No. GSR 7/H.A. 12/99. S.24(1)/2003 notified the Haryana School Education Rules-2003 to regulate education in all non-Government schools, to promote better organization and development of school education, the manner of admission to recognized schools, fee structure, uniform code of service conditions for employees, adequate infrastructural facilities to be provided to pupils and to follow approved course of studies, in the State of Haryana.

* Please see the back of this document

THIS PERMISSION IS ONLY IN PRINCIPLE APPROVAL OF THE INTENTION OF THE APPLICANT TO ADD NEW PROPOSED CLASSES FOR HIGHER STAGE SCHOOL. IT IS NOT APPROVAL TO START CLASSES OR FUNCTIONING OF SCHOOL FOR WHICH RECOGNITION IS REQUIRED WHICH IS GRANTED ON FULFILMENT OF NORMS AS PRESCRIBED UNDER HARYANA SCHOOL EDUCATION RULES-2003

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION
HARYANA

Shiksha Sadan, Sector-5, Panchkula (Haryana)
Telefax: +91-172-2560253

S.No	Description	Details																									
a	The area in which the new school is proposed to be established	12774.14Sq.Ft.																									
b	The approximate number of students likely to be enrolled in that school	281																									
c	The stage of education intended to be imparted in the new school	Middle																									
d	The particulars including measurements of the building or other structures in which the school is proposed to be run																										
e	The Financial resources from which the expenses for the establishment and running of the school shall to be met.																										
f	The proposed procedure untill its recognition under these rules, for the selection of the head of the school and other teachers and non-teaching staff and the minimum qualification for the recruitment.	The selection procedure will be adopted to appoint teaching and nonteaching staff as per the provisions under Rule 163 of Haryana School Education Rules, 2003 by constituting a selection committee.																									
g	The proposed salary of the staff to be notified	Selection Procedure would be as provided in Rule 163 of Haryana Education Rules 2003 and other relevant provisions. The minimum qualification would also be as given in Appendix A attached with Haryana School Education Rule-2003																									
h	Admission, tuition and other fees and funds which would be levied and collected until its recognition under these rules, from the students of the proposed new school	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CLASS</th> <th>I-V</th> <th>VI-VIII</th> <th>IX-X</th> <th>XI-XII</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Admission Fee</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tuition Fee</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Other Fee</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total Funds</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	CLASS	I-V	VI-VIII	IX-X	XI-XII	Admission Fee					Tuition Fee					Other Fee					Total Funds				
CLASS	I-V	VI-VIII	IX-X	XI-XII																							
Admission Fee																											
Tuition Fee																											
Other Fee																											
Total Funds																											
i	Any other facility which is proposed to be provided for students of the proposed new school																										
j	The composition of managing committee of the proposed new school until the new school is recognized and a new managing committee is constituted in accordance with the scheme of managing committee made under these rules.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name (Sh./ Smt.)</th> <th>Designation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arif Khan</td> <td>President</td> </tr> <tr> <td>Jan Mohd.</td> <td>Vice- President</td> </tr> <tr> <td>Fharukh</td> <td>Secretary</td> </tr> <tr> <td>Mohd. Abaas</td> <td>Treasurer</td> </tr> <tr> <td>Zakir Hussain</td> <td>Executive Member</td> </tr> <tr> <td>Risalu Din</td> <td>Executive Member</td> </tr> <tr> <td>Moh. Akil Ahmed</td> <td>Executive Member</td> </tr> <tr> <td>Abida</td> <td>Executive Member</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name (Sh./ Smt.)	Designation	Arif Khan	President	Jan Mohd.	Vice- President	Fharukh	Secretary	Mohd. Abaas	Treasurer	Zakir Hussain	Executive Member	Risalu Din	Executive Member	Moh. Akil Ahmed	Executive Member	Abida	Executive Member							
Name (Sh./ Smt.)	Designation																										
Arif Khan	President																										
Jan Mohd.	Vice- President																										
Fharukh	Secretary																										
Mohd. Abaas	Treasurer																										
Zakir Hussain	Executive Member																										
Risalu Din	Executive Member																										
Moh. Akil Ahmed	Executive Member																										
Abida	Executive Member																										

Note:- The Permission is granted that on the subject to the condition that the documents/ Information furnished by the School authorities are factual and not devoid of truth in any way. However, if any information, at any stage, is found contrary to the facts the permission would be revoked forthwith.